न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :69/2020

वादीगण–

1. हरीराम पुत्र सोहनराम
   जातियान–जाट निवासी– गडरिया,तहसील जायल (नागौर)

प्रतिवादीगण – बनाम

1. सोहनराम पुत्र गणेशराम
2. बाबु देवी
3. लिछमा
4. छोटू देवी पुत्रियां सोहनराम
   जातियान–जाट निवासीगण–गडरिया, तहसील जायल (नागौर)
5. तहसीलदार जायल

उपस्थिति :–

1. श्री हनुमानराम मण्डा अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री शिवकुमार पारासर प्रतिवादी संख्या 1 से 4
3. प्रतिवादी संख्या 5 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक : 10/8/2024

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा गडरिया तहसील जायल में खेत खसरा नं. 110 रकबा 2.5768 हैक्टेयर व मौजा किशनपुरा का खेत खसरा नंबर 1235/2026 रकबा 1.0765 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1236 रकबा 2.9866 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1257 रकबा 1.7644 हैक्टेयर रहती चली आई है। वादीगण व प्रतिवादीगण ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा सम्वत् 2074 की आखातीज को वाद पत्र के पैरा संख्या 2 (क व ख) व पैरा संख्या 3 के अनुसार कर सिंव–नींव अलग–अलग कर ली। जिसका बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से है। वादी संख्या 1 हरीराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गडरिया का खेत खसरा नंबर 110 रकबा 2.5738 हैक्टेयर पूरा रखा गया है। शेष खेताय यथावत रखे जाते है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के उक्त खेताय में से कोई भूमि बंट नहीं रखा गया है। वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग–अलग सींव–नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), जायल

10/8/2024
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 ने दिनांक 07.09.2020 को उपस्थित न्यायालय होकर ईकबाली जबाब व राजीनामा पेश किया। जिसमें वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री हनुमानराम मण्डा ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की पहचान अधिवक्ता श्री शिवकुमार पारासर ने की। ईकबाली जबाब व राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 5 का सम्मन स्वयं से तामील होकर प्राप्त हुआ है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 द्वारा प्रकरण के संबंध में ईकबाली जबाब व राजीनामा पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 5 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह हरीराम पुत्र सोहनराम,सोहनराम पुत्र गणेशराम के पेश हुये साथ नकल जमाबन्दी ग्राम गडरिया तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 235 प्रदर्श–1, मौजा किशनपुरा तहसील जायल सम्वत 2073–2076 खाता संख्या 268 नकल पेश हुवे, अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा पत्रावली में जरिये ईकबाली जबाब व राजीनामा वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक ईकबाली जबाब व राजीनामा में वर्णित पैराज माफिक नजरी नक्शानुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 के हक बंट की भूमि का जरिये ईकबाली जबाब व राजीनामा आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक राजीनामा व ईकबाली जबाब वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त अनुसार नजरी नक्शा भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत राजीनामा व ईकबाली जबाब दिनांक 07.09.2020 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के द्वारा प्रस्तुत ईकबाली जबाब पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत ईकबाली जबाब व राजीनामा दिनांक 07.09.2020 में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 ने आपसी सहमति के अनुसार बंटवाड़ा तथा माफिक नजरी नक्शानुसार काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है। प्रकरण हाजा में मुतदाविया विवादग्रस्त खेताय में से प्रतिवादी संख्या प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के हक बंट में कोई भूमि नहीं रखी गई है, इसलिये भूमि अन्तरण का मामला प्रतीत होता है। हमारी राय में मौजा गडरिया के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने-अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा खसरा नंबर 110 की भूमि वादी हरिराम के हिस्से में तथा शेष खेतायों में प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को प्रतिवादी संख्या 1 सोहनराम के साथ सहखातेदार घोषित कर हम वादी का वाद स्वीकार करते हुवे अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

— : : आदेश : : —

यत् वादी का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर वादी संख्या 1 हरीराम,प्रतिवादी संख्या 2 से 4 बाबु देवी, लिछमा,छोटू देवी को प्रतिवादी संख्या 1 सोहनराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 हरीराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गडरिया का खेत खसरा नंबर 110 रकबा 2.5738 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादी संख्या 2 से 4 कमश बाबुदेवी,लिछमा,छोटू देवी को प्रतिवादी संख्या 1 सोहनराम के साथ शेष खेतायों खसरा नंबर 1235/2026 रकबा 1.0765 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1236 रकबा 2.9866 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1257 रकबा 1.7644 में सहखातेदार घोषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक ....10/8/2021.... को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

10/8/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), जायल

Scanned with CamScanner

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :69/2020

वादीगण–

1. हरीराम पुत्र सोहनराम
   जातियान–जाट निवासी– गडरिया,तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. सोहनराम पुत्र गणेशराम
2. बाबु देवी
3. लिछमा
4. छोटू देवी पुत्रियां सोहनराम
   जातियान–जाट निवासीगण–गडरिया, तहसील जायल (नागौर)
5. तहसीलदार जायल

उपस्थिति :–

1. श्री हनुमानराम मण्डा अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री शिवकुमार पारासर प्रतिवादी संख्या 1 से 4
3. प्रतिवादी संख्या 5 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री हनुमानराम मण्डा अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 4 हाजरी श्री शिवकुमार पारासर व प्रतिवादी संख्या 5 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि यत् वादी का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर वादी संख्या 1 हरीराम,प्रतिवादी संख्या 2 से 4 बाबु देवी, लिछमा,छोटू देवी को प्रतिवादी संख्या 1 सोहनराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 हरीराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गडरिया का खेत खसरा नंबर 110 रकबा 2.5738 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादी संख्या 2 से 4 कमश बाबुदेवी,लिछमा,छोटू देवी को प्रतिवादी संख्या 1 सोहनराम के साथ शेष खेतायों खसरा नंबर 1235/2026 रकबा 1.0765 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1236 रकवा 2.9866 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1257 रकबा 1.7644 में सहखातेदार घोषित किया जाता है।

10/8/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलेक्टर * (एस.डी.ओ.), जायल *

Scanned with CamScanner

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना अदालत के आज तारीख .....10/9/2021..... को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक		*	मुतफरिक		
	*		दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

सहायक कलेक्टर जायल

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

10/9/2021
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner